परिपत्र संख्या 01/15

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान
अजमेर

क्रमांकः एफ.7(482)विधि/15/ 260 दिनांकः 27-2-15

परिपत्र

मुद्रांक प्रकरणों में पारित आदेशों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि रेफ्रन्स प्रकरणों में आदेश पारित करने पर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियमों के प्रावधानों एवं पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र संख्या 3/09 सहित इस विषय पर जारी परिपत्र 25/10 दिनांक 21.08.10 में जारी निर्देशों की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अधिकांश मामलों में समुचित जांच किये बिना व बिना कारण व आधार सहित निष्कर्ष/स्पष्ट आदेश पारित नहीं किये जाते है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि विभागीय परिपत्र संख्या 07/14 दिनांक 17.10.14 के अनुसार प्राप्त रेफ्रन्स प्रकरणों को सही धारा में दर्ज कर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण जांच के बाद कारण व आधार सहित निष्कर्ष अभिलिखित करते हुये स्पष्ट आदेश पारित किया जाना अपेक्षित होने के फलस्वरूप प्रत्येक आदेश में निम्नानुसार सभी तथ्यों का समावेश किया जावे।

1. **प्रकरण संख्या व शीर्षक संबंधी सूचना-** आदेश के प्रारंभ में प्रकरण संख्या शीर्षक उनवान दस्तावेज के दोनों पक्षकार के निष्पादन की दिनांक, प्रकरण दर्ज होने की दिनांक सहित रेफ्रन्स का आधार व प्रस्तावित मालियत एवं अंतर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क का विवरण अंकित किया जावे।

2. आदेश के प्रथम भाग में रेफ्रन्स के तथ्य व प्रश्नगत सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अंकन किया जावे। सम्पत्ति की लोकेशन/पहचान के संबंध में पूर्ण विवरण दिया जावे।

3. **रेफ्रन्स के आधार पर राजकीय पक्ष-** आदेश के द्वितीय भाग में रेफ्रन्स के आधार, रेफ्रन्स की प्रकृति व उसके समर्थन में राजकीय पक्ष में संबंधित तथ्यों का अंकन किया जावे। रेफ्रन्स के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य, मौखिक कथन, सम्पत्ति मौका निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन का गणनात्मक विवरण तथा वास्तवित स्थिति का उल्लेख किया जावे।

4. **प्रतिपक्ष का जबाव व साक्ष्य-** आदेश के तृतीय भाग में रेफ्रन्स के नोटिस समुचित तामील के पश्चात् प्रतिपक्ष का जबाव व उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। पक्षकार को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी जबाव साक्ष्य पेश नहीं होने की स्थिति में इस तथ्य का अंकन भी आदेश में स्पष्ट किया जावे। एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय भी गुणवगुण के आधार पर सम्पूर्ण विवरण सहित डिटेल में पारित किया जावे।

5. **पीठासीन अधिकारी का निष्कर्ष व आदेश-** आदेश के अंतिम भाग में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों व साक्ष्यों पर विवेकपूर्ण मनन के पश्चात् अपने निष्कर्ष के अभिलिखित किया जावे व निष्कर्ष के स्पष्ट कारणों व आधारों का आदेश में उल्लेख किया जावे यथा डी.एल.सी. द्वारा सम्पत्ति जिस क्षेत्र में स्थित है उसकी अनुमोदित दर/विभाग एंव राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भूमिकर, निरीक्षण आक्षेप, कृषि भूमि संबंधित राजस्व अभिलेख, सम्पत्ति के लोकेशन व उपयोग के संबंध में दस्तावेज व पंजीयन अधिकारी की मौका रिपोर्ट, निर्माण आर.सी.सी/चूना पत्थर/पट्टी पोश होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पत्ति की सड़क/मुख्य/उपसड़क से स्पष्ठ दूरी सहित सम्पत्ति के सामने स्थित रोड/सड़क की चौड़ाई आदि का समावेश आवश्यक रूप से किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये दर्ज मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ.7(482)विधि/15/ 261-311 दिनांक 27-2-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, आयकर (CIB) स्टेच्यू सर्किल, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
11. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
12. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
13. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर